न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 80 / 2020 दायर दिनांकः 20 / 07 / 2020

उनवान

1. मोनिका आयु 20 वर्ष पुत्री नन्दलाल जाति खटीक निवासी खेड़लीगंज अटरू तह0 अटरू जिला बारां (राज0) वादिया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू तह0 अटरू जिला बारां (राज0)

...........प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, आर0टी0एक्ट0 एवं 136 एल0आर0एक्ट0

नाम दुरस्ती एवं बालिग दर्ज करने बाबत

उपस्थित :—

वादियाः— विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।

प्रतिवादीः— विद्वान अभिभाषक श्री पेरोकार सरकार।

आदेश दिनाक : 26 / 08 / 2021

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है, कि वादिया ने यह दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, राज0 टीनेन्सी एक्ट एवं धारा 136 एल0आर0 एक्ट बाबत् इन्द्राज दुरूस्ती एवं बालिग दर्ज करने बाबत का इस आशय का पेश किया है, कि वाके ग्राम एवं माल खेडली बांसला पटवार क्षेत्र बरलां तहसील अटरू जिला बारां में खाता संख्या 130 का ख0न0 470 का रकबा 0.29 है0, ख0न0 471 का रकबा 0.24 है0, ख0न0 472 / 668 का रकबा 0.23 है0, कुल किता 3 का रकबा 0.76 है0 आराजी वादिया के अन्य सहखातेदारान के साथ शामलाती खाते दर्ज चली आ रही है। नकल जमाबन्दी संवत 2074 से 2077 वाद पत्र के साथ संलग्न हैं जो काबिल गौर है। वाद पत्र के मद नं. 1 में वर्णित आराजी में आपके अधिनस्थ कर्मचारीगण ने वदिया के पिता का फौती इन्तकाल नं. 282 दिनांक 30.11.2010 को तस्दीक करते वक्त वादिया को घर पर अन्तिमा कहने के कारण राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में अन्य सहखातेदारान के साथ नाम अन्तिमा दर्ज कर दिया जबकि वादिया के आधार कार्ड, बोर्ड अंकतालिका, जाति प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज में नाम मोनिका दर्ज है जो वादिया का सही नाम है। वक्त वादिया के पिता का फौती इन्तकाल तस्दीक करते वक्त वादिया नाबालिग थी इसलिए वादिया का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में नाबालिग अन्तिमा पुत्री नन्दलाल संरक्षक सरपरस्त वली माता मंजूबाई हिस्सा 1 / 18 जाति खटीक सा. अटरू खातेदार दर्ज है। जबकि वर्तमान में वादिया की आयु 20

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.10.08 12:56:29 IST
Reason: SelfAttested

वर्ष हो चुकी है इसलिए वादिया को नाबालिग से बालिग दर्ज किया जावे । दस्तावेजों की छाया प्रतियां एवं नकल जमाबन्दी संवत 2066 से 2069 वाद पत्र के साथ संलग्न है जो काबिल गौर है। वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में वादिया का गलत नाम अन्तिमा तथा नाबालिग दर्ज होने के कारण वादिया अपनी आराजी का कृषि विकास कार्य नही करवा पा रही है तथा कृषि ऋण व अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिना सहायता न्यायालय वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में वादिया का नाम अन्तिमा के स्थान पर मोनिका तथा नाबालिग से बालिग दर्ज करवाया जाना संभवन नहीं है। अगर वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में वादिया का सही नाम मोनिका व बालिग दर्ज नही किया तो वादिया को अपरिमित क्षति होगी व अपने हक अधिकारों से वंचित होना पड़ेगा तथा सरकारी योजनाओं का लाभ नही ले पावेगी। जिसकी पूर्ति बाद में अन्य प्रकार से होना संभव नही होगी। इसलिए वादिया वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में अपना सही नाम मोनिका तथा नाबालिग दर्ज करवाने की अधिकारी व नॉलिशी है। वाद कारण प्रथम बार दिनांक 30/11/2010 को वादिया के पिता का फौती नामान्तकरण दर्ज करने पर व अन्तिम बार दिनांक 07.07.2020 को तहसीलदार साहब अटरू को वादिया द्वारा नाम दुरूस्ती एवं बालिग दर्ज करने का प्रार्थना पत्र देने पर उन्होने माननीय न्यायालय में कार्यवाही करने की सलाह देने पर माननीय न्यायालय के सीमा क्षेत्र में उत्पन्न हुआ। विवादग्रस्त आराजी ग्राम खेडली बांसला तहसील अटरू जिला बारां में स्थित होने की वजह से माननीय न्यायालय को इस वाद को सुनने का क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त हैं। वाद राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर पेश हैं जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य हैं। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश हैं। अतः माननीय न्यायालय में वादिया वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करती है कि डिक्री बहक वादिया विरूद्ध प्रतिवादी निम्न आशय की सादिर फरमायी जावें कि :—

(अ) वाद पत्र की मद न0 1 में वर्णित आराजी में वादिया का नाम अन्तिमा के स्थान पर मोनिका तथा नाबालिग से बालिग रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज करने के आदेश प्रतिवादी को प्रदान करने की कृपा करें।

(ब) अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादिया को प्रदान की जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.10.08 12:56:29 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी जर्ये सम्मन की गई। प्रतिवादी द्वारा जवाब दावा पेश नही करने के कारण जवाब दावा बन्द किया गया। साक्ष्यवादी के

अन्तर्गत **Pw1** व **Pw2** का शपथ पत्र पेश किये गये, शेष साक्ष्यवादी पेश न करने के कारण शेष साक्ष्यवादी बन्द किये जाते है।

अभिभाषक वादिया की एक तरफा बहस सुनी अभिभाषक वादिया द्वारा वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया तथा निवेदन किया गया कि वादिया का नाम ग्राम खेडली बासंला की खाता संख्या 130 किता 3 रकबा 0.76 है0 में सहखातेदार के रूप में दर्ज है। जिसमें फौती इन्तकाल खोलते समय घर का नाम अन्तिमा दर्ज कर दिया गया जबकि रिकार्ड आधार कार्ड, बोर्ड की अंकतालिका, जाति प्रमाण पपत्र में मोनिका दर्ज है। जिसे रिकार्ड मुताबिक दुरूस्त किया जावे तथा मोनिका की उम्र लगभग 20 वर्ष की है, जिसे राजस्व रिकार्ड में बालिग दर्ज किया जावे।

अभिभाषक वादिया को सूना तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रस्तुत जमाबन्दी ग्राम खेडली बांसला की खाता संख्या 130 किता 3 रकबा 0.76 है0 में वादिया का नाम अन्तिमा पुत्री नन्दलाल सरपरस्त वली माता मन्जू बाई दर्ज है, प्रस्तुत रिकार्ड आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, दिनांक 24.07.2017, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राज0 परीक्षा 2016 में वादिया का सही नाम मोनिका खीची दर्ज है। फौती इन्तकाल खोलते समय वादिया का बोलता नाम अन्तिमा दर्ज कर दिया गया। सरपंच ग्राम पंचायत खेडलीगंज का प्रमाण पत्र 28.04.2021 अनुसार भी अन्तिमा व मोनिका एक ही है, घर का बोलता नाम रिकार्ड दर्ज हो गया।

अतः साक्ष्य व रिकार्ड के आधार पर वादिया का वाद स्वीकार योग्य है।

—::<u>क्रियात्मक आदेश</u>::—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादिया का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम खेडली बांसला के खाता संख्या 130 किता 3 रकबा 0.76 है0 में सहखातेदार अन्तिमा पुत्री नन्दलाल के स्थान पर मोनिका उर्फ अन्तिमा पुत्री नन्दलाल व नाबालिग से बालिग दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करे। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 26/08/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.10.08 12:56:29 IST
Reason: SelfAttested

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)

बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (**R.A.S.**) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 80/2020

उनवान

1. मोनिका आयु 20 वर्ष पुत्री नन्दलाल जाति खटीक निवासी खेड़लीगंज अटरू तह0 अटरू जिला बारां (राज0)

वादिया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू तह0 अटरू जिला बारां (राज0)

..........प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, आर0टी0एक्ट0 एवं 136 एल0आर0एक्ट0
नाम दुरस्ती एवं बालिग दर्ज करने बाबत

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई ....**X**................ रूबरू..............**X**..............................

बहाजिर :–

वादियाः– विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।

प्रतिवादीः– विद्वान अभिभाषक श्री पेरोकार सरकार।

मिनजानित मुदई रूबरू ....**X**...

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम खेडली बांसला के खाता संख्या 130 किता 3 रकबा 0.76 है0 में सहखातेदार अन्तिमा पुत्री नन्दलाल के स्थान पर मोनिका उर्फ अन्तिमा पुत्री नन्दलाल व नाबालिग से बालिग दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करे।

(दिनेश कुमार मीणा)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज ....**X**..................... मुबालिक ....**X**............... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह .....**X**......................
.... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....**X**......................... अदा करूंगा।
मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 26/08/2021 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	[illegible]	बाबत् इजराय हुकमनामा
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनामा	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.10.08 12:56:29 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)